

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 4 जुलाई, 2014

सेवा में,

श्री मेहदी हसन खान,
बाबू पुर्वा, गुलाल पुर्वा
तहसील-नानापारा,
जिला-बहराइच
उत्तर प्रदेश

विषय : श्री मेहदी हसन खान द्वारा आर टी आई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत दायर आर टी आई आवेदन के संबंध में।

महोदय,

मुझे आपके दिनांक 20.05.2014 के आर टी आई आवेदन (इस विभाग में 29.05.2014 को प्राप्त) और सी पी आई ओ, सीबीडीटी के पत्र सं0 290/29/2013-निदेशक (जांच-IV)/317, दिनांक 09.06.2014 का संदर्भ लेने और यह कहना है कि वित्त मंत्री कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि आपका दिनांक 26.04.2014 का पत्र वित्त मंत्री के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए आपके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है।

3. अपील यदि कोई हो, इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, सुश्री प्रकृति श्रीवास्तव, निदेशक (प्रशासन), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के पास दायर की जा सकती है।

भवदीय,



(वी. श्रीकुमार)

के.लो.सू.अधि./अवर सचिव

(आरटीआई)

दूरभाष सं. 23095368

प्रतिलिपि प्रेषित:

सीपीआईओ, जांच-IV, सीबीडीटी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, ए आर ए केन्द्र,
झण्डेवाला विस्तार, नई दिल्ली।

19/07/2014
04/07/2014